भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2211

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों के निर्यात के वैकल्पिक स्रोत

2211. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूस भारत के लिए अमोनिया और सल्फर का एक बड़ा निर्यातक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या रूस में तोग्लियांट्टी को यूक्रेन में काला सागर के बंदरगाह ओडेसा से जोड़ने वाली पाइपलाइन को हुई क्षति के कारण आपूर्ति में रुकावट आई और आयातित सल्फर की कीमत यूएस$ 250 प्रति टन से बढ़कर यूएस $550 प्रति टन हो गई; और
(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन उर्वरकों के लिए वैकल्पिक स्रोत कैसे खोजे जाएंगे?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): रूस भारत को अमोनिया का प्रमुख निर्यातक नहीं है। तथापि, रूस द्वारा भारत को सल्फर का सीमित मात्रा में निर्यात किया जाता है। वर्ष 2025-26 के दौरान भारत द्वारा आयातित 21.4 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) सल्फर में से 1.47 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी), अर्थात् 6.8 प्रतिशत, रूस से आयात किया गया।

(ख): रूस के टोग्लियाट्टी (Togliatti) को यूक्रेन के काला सागर स्थित ओडेसा बंदरगाह से जोड़ने वाली पाइपलाइन अमोनिया पाइपलाइन है। फरवरी 2022 में इसके नियमित प्रचालन के बंद होने से पूर्व इस पाइपलाइन के माध्यम से तरल अमोनिया का परिवहन किया जाता था। जून 2023 में खार्किव (Kharkiv) क्षेत्र तथा अक्टूबर 2025 में डोनेट्स्क (Donetsk) क्षेत्र में संघर्ष से संबंधित घटनाओं के कारण इस पाइपलाइन को क्षति पहुँची।

चूँकि टोग्लियाट्टी-ओडेसा पाइपलाइन का अवसंरचना तंत्र केवल तरल अमोनिया के परिवहन के लिए समर्पित है, इसलिए इसके बाधित होने का वैश्विक अथवा घरेलू सल्फर आपूर्ति पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। भारत सल्फर का आयात अधिकांशतः मध्य-पूर्व के देशों से करता है। सल्फर के आयात मूल्य में वृद्धि मुख्यतः पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न आपूर्ति शृंखला संबंधी व्यवधानों, तथा इसके परिणामस्वरूप वैश्विक मालभाड़ा दरों, समुद्री बीमा प्रीमियम और लॉजिस्टिक बाधाओं में हुई वृद्धि के कारण हुई।

(ग): सरकार द्वारा 01.04.2010 से फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी स्कीम लागू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत पीएंडके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया है तथा कंपनियाँ अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार अमोनिया और सल्फर सहित इन उर्वरकों/कच्चे माल का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। .

सल्फर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उर्वरक विभाग ने दिनांक 30.03.2026 एवं 17.06.2026 के कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह सभी सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों, अर्थात् आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, सीपीसीएल तथा एनआरएल को उर्वरक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सल्फर की आपूर्ति को प्राथमिकता देने के संबंध में आवश्यक परामर्श/निर्देश जारी करे।

आयातित अमोनिया पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सरकार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत हरित अमोनिया (Green Ammonia) के घरेलू उत्पादन एवं खरीद को प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत हरित हाइड्रोजन अपनाने हेतु रणनीतिक हस्तक्षेप (एसआईजीएचटी) स्कीम के तहत उर्वरक क्षेत्र के लिए हरित अमोनिया की मांग को बढ़ाने तथा उसकी खरीद पर विशेष बल दिया गया है जिसके अंतर्गत डीएपी एवं एनपीके उर्वरकों के उत्पादन हेतु उर्वरक कंपनियों द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) हरित अमोनिया की खरीद का प्रावधान किया गया है। 30 मार्च, 2026 को उर्वरक कंपनियों तथा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) के बीच 10 वर्षों की अवधि के लिए हरित अमोनिया आपूर्ति करारों (GASA) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। GASA पर हस्ताक्षर की तिथि से तीन वर्ष पश्चात उर्वरक कंपनियों को हरित अमोनिया की आपूर्ति प्रारंभ होगी। हस्ताक्षरित करार के अनुसार, हरित अमोनिया एवं ग्रे अमोनिया (Grey Ammonia) की लागत के बीच के अंतर का वहन उर्वरक विभाग द्वारा किया जाएगा।
